न्यायालय, अवर न्यायाधीश बनमनखी (पूर्णियाँ)

T.S-209/2014

सत्यनारायण मेहता

बनाम

विशुनदेव मेहता एवं अन्य

02.09.2022 उभय पक्षों की ओर से हाजरी दी गई है।

वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक–04.06.2022 पर सुनवाई के पश्चात अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ।

वादी के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि प्रतिवादी सं0–1 विशुनदेव मेहता की मृत्यु दिनांक–29.12.2020 को हो गई है। प्रतिवादी सं0–1 विशुनदेव मेहता की एक पत्नी दो पुत्र एवं एक पुत्री वारिस है। विशुनदेव मेहता के वारिसान का नाम आवेदन पत्र मे अंकित है। अतः वादी के आवेदन को स्वीकृत कर प्रतिवादी सं0–1 के वारिसान को प्रतिवादी सं0–1 के स्थान पर वाद–पत्र मे प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादी के आवेदन दिनांक–04.06.2022 को स्वीकृत कर आवेदन पत्र मे विधिक उत्तराधिकारी को पक्षकार बनाने की अनुमति प्रदान की जाय।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा वादी के उक्त आवेदन पर कोई आपत्ति नही की गयी।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी की ओर से दाखिल दिनांक–04.06.2022 के आवेदन पर प्रतिवादी के द्वारा कोई आपत्ति नही की गयी है। प्रतिवादी को आवेदन में वर्णित विधिक उत्तराधिकारी को इस वाद में प्रतिस्थापित करने में कोई आपत्ति नही है।

अतः वादी के आवेदन दिनांक–04.06.2022 को न्यायहित में **स्वीकृत** किया जाता है।

वादी को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार वाद–पत्र में प्रतिस्थापन की कार्यवाही करे।

वाद दिनांक–23.09.2022 वास्ते उपस्थिति हेतु।

लेखापित

s/d

अवर न्यायाधीश